तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.66/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
26.4.2023	पत्रावली आज पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी देवाराम चौधरी पुत्र अमराराम चौधरी, निवासी– चौधरी गली, कैलाशनगर, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म मां अर्बुदा देवी किराणा स्टोर, पटवार घर के सामने, कैलाशनगर, तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 21.2.2022 को फर्म मां अर्बुदा देवी किराणा स्टोर, पटवार घर के सामने, कैलाशनगर, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी देवाराम चौधरी पुत्र अमराराम चौधरी, निवासी– चौधरी गली, कैलाशनगर, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ पापड (गणपति ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1724 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./595/Act/2022/590 दिनांक 07.3.2022 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 26.4.2023 को प्रतिवादी देवाराम चौधरी में उपस्थित हुआ। प्रतिवादी देवाराम चौधरी ने जवाब प्रस्तुत किया तथा प्रकरण का आज ही निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी को सुना गया। उसने अनुरोध किया कि उसने पापड (गणपति ब्राण्ड) को दूसरी फर्म से क्रय किया था। जिसका बिल कहीं गुम हो गया है। मिथ्याछाप पापड (गणपति ब्राण्ड) के निर्माण हेतु निर्माता फर्म जिम्मेदार है। अतः उसके विरुद्ध यह कार्यवाही समाप्त की जावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही (हाल निलम्बित) ने दिनांक 21.2.2022 को फर्म मां अर्बुदा देवी किराणा स्टोर, पटवार घर के सामने, कैलाशनगर, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी / विक्रेता देवाराम चौधरी पुत्र अमाराराम [illegible] गली, कैलाशनगर, तहसील– शिवगंज, जिला– [illegible] खाद्य पदार्थ पापड (गणपति ब्राण्ड) के [illegible] को खाद्य सुरक्षा एवं मानक [illegible] नमूना जांच हेतु ......लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:09:59 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.66/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	गवाह के समक्ष कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ पापड (गणपति ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1724 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./595/Act/2022/590 दिनांक 07.3.2022 के अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। चूंकि प्रकरण में प्रतिवादी ने उक्त खाद्य पदार्थ पापड (गणपति ब्राण्ड) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी देवाराम चौधरी ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ पापड (गणपति ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत प्रतिवादी देवाराम चौधरी पुत्र अमराराम चौधरी, निवासी– चौधरी गली, कैलाशनगर, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म मां अर्बुदा देवी किराणा स्टोर, पटवार घर के सामने, कैलाशनगर, तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 3,000/– (अक्षरे रुपये तीन हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी देवाराम चौधरी को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 7 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 31.5.2023 को पेश हो। (के.आर.खौड़) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:09:59 IST
Reason: SelfAttested